मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-02/04/ 2020/ई/चार, भोपाल,दिनांक22/05/2020

आदेश

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू होने के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के युक्तियुक्तकरण के फलस्वरूप 93 उप कोषालयों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की संख्या 5 या उससे कम रह गयी है। IFMIS के अंतर्गत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा शतप्रतिशत कोषालय में ऑनलाईन देयक प्रस्तुत किए जा रहे हैं तथा ई- स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू होने से राशि रूपए 100/- से अधिक के नॉन ज्यूडिशिल स्टाम्प का प्रदाय कोषालय से बंद किए जा चुके हैं।

2. कोषालयीन कम्प्यूटीकृत परियोजना के अंतर्गत समस्त कोषालय संव्यवहार जैसे देयक बनाना,कोषालय में प्रस्तुति,कोषालय से स्वीकृति एवं भुगतान ऑनलाईन हो गए हैं, अत: भौतिक देयक/चेक के लिए अब DDO को कोषालय में आने की आवश्यकता समाप्त हो गयी हैं।

3. उप कोषालयो के युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत पायलट आधार पर निम्नानुसार 10 उप कोषालयों को समाप्त किया जाता है :-

क्र.	जिला	उप कोषालय का नाम	स्वीकृत पद		समर्पित पद	
			सहायक ग्रेड-दो	भृत्य	सहायक ग्रेड-दो	भृत्य
1	बैतूल	शाहपुर	1	1	1	1
2	दमोह	तेंदूखेडा	1	1	1	1
3	खरगोन	सेगांव	1	1	1	1
4	मण्डला	नैनपुर	1	1	1	1
5	पन्ना	पवई	1	-	1	-
6	रतलाम	सैलाना	1	1	1	1
7	सतना	रामपुर बघेलान	1	1	1	1
8	सिंगरोली	चितरंगी	1	1	1	1
9	उज्जैन	नागदा	1	1	1	1
10	विदिशा	ग्यारसपुर	1	1	1	1
		योग	10	09	10	09

उपर्युक्त उप कोषालयों के बंद होने के फलस्वरूप उनके समक्ष दर्शाए गए सहायक ग्रेड-दो एवं भृत्य पद के स्वीकृत समस्त 19 पद संबंधित जिला कोषालय की

स्थापना से समर्पित किये जाते हैं। उप कोषालयों में कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित जिला कोषालयों में पदस्थ किया जाता है।

उपकोषालयों के दृढ़कक्ष में रखी गई बहुमूल्य संपित्तयों/मुद्रांकों के पैकेट्स को संबंधित जिला कोषालयों के दृढ़कक्षों में स्थानान्तरित किया जाए। उप कोषालय बंद करने संबंधी समस्त आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु आयुक्त,कोष एवं लेखा को अधिकृत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
27/5/2020
(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

पृ. क्रमांक एफ-02/04/ 2020/ई/चार, भोपाल,दिनांक 28 /05/2020

प्रतिलिपि,

1. प्रधान महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम म.प्र.ग्वालियर ।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल ,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन वाणिज्यक कर विभाग,/विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त,संचालनालय कोष एवं लेखा,म.प्र.भोपाल।
5. पंजीयन महानिरीक्षक, कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन अधीक्षक एवं मुद्रांक,म.प्र.भोपाल।
6. समस्त संभागायुक्त/कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. संबंधित जिला पंजीयक जिला बैतूल, खरगोन, दमोह, मण्डला, पन्ना, रतलाम, सतना, सिंगरौली, उज्जैन,विदिशा,मध्यप्रदेश, कृपया उपकोषालयों के मुद्रांक विक्रेताओं को जिला कोषालयों से मुद्रांक प्राप्त करने हेतु अधिकृत करें।
8. संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, मध्यप्रदेश
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
10. समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग